

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव

पीठासीन अधिकारी - श्री प्रतापसिंह , आई.ए.एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादी

अमराराम पुत्र आम्बाराम उम्र 62साल  
जाति कुम्भार निवासी लक्ष्मीपुरा  
तहसील शिव जिला बाड़मेर

तहसीलदार, शिव

राजस्व वाद संख्या :- 53 / 2019

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88 राज0 का0 अधिनियम


उपस्थिति : 1. श्री बृजमोहन कुमावत वकील वादी ।

अंतिम डिक्री

दिनांक 19-08-2019

संक्षिप्त में वादी के वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रासारा तला पटवार मण्डल मुंगेरिया तहसील शिव में स्थित भूमि खसरा नं0 615/443, 624/453 रकबा कमशः 55.12, 34.02 बीघा भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा व इसी ग्राम भीभड़ा तहसील शिव के खसरा नम्बर 283, 548 कुल रकबा 273.01 बीघा भूमि मे वादी का 1/9 हिस्सा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादी के पिता आम्बा पुत्र गोगल की फौतगी पर विरासती नामान्तरकरण भरते समय वादी के साथ अन्य भाईयो के साथ वादी के नाम अमराराम के स्थान पर वादी का नाम शेराराम उर्फ अमराराम पुत्र आम्बाराम लिख दिया जिसके स्थान पर अब वादी ने अपना शुद्ध नाम अमराराम पुत्र आम्बाराम खातेदारी मे पुनः घोषित करवाने का निवेदन किया है।


वादी का वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादी तहसीलदार शिव को जरिये समन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी ने अपना जबाब पेश किया। वादी ने अपने वाद पत्र के साथ अन्य दस्तावेज कमशः आधार कार्ड, पेन कार्ड, सर्विस रेकर्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र वगैरा साथ पेश किये हैं जिसमे वादी का नाम अमराराम पुत्र आम्बाराम अंकित हैं परन्तु राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम शेराराम उर्फ अमराराम पुत्र आम्बाराम अंकित हैं जिससे राजस्व रेकर्ड मे आधार लिंक करवाने व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने से वादी वंचित रह जाता है। राजस्व रेकर्ड एवं वादी के नाम से बने अन्य दस्तावेजो मे वादी एकरुपता रखते हुए शेराराम उर्फ अमराराम पुत्र आम्बाराम के स्थान पर अमराराम पुत्र आम्बाराम घोषित करवाना चाहता है।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव




वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन के बाद वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा रासारा तला पटवार मण्डल मुंगेरिया तहसील शिव में स्थित भूमि खसरा नं० 615/443, 624/453 रकबा क्रमशः 55.12, 34.02 बीघा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा व इसी ग्राम भीभड़ा तहसील शिव के खसरा नम्बर 283, 548 कुल रकबा 273.01 बीघा भूमि में वादी का 1/9 हिस्सा की भूमि में वादी के गलत नाम शेराराम उर्फ अमराराम पुत्र आम्बाराम के स्थान पर अमराराम पुत्र आम्बाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरस्ती का नामान्तरकरण भरे। डिकी पर्चा मुर्तिब हो।



  
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव जिला बाड़मेर

डिकरी-पर्चा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 53 / 2019

वादी

बनाम

प्रतिवादी

अमराराम पुत्र आम्बाराम उम्र 62 वर्ष  
निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शिव  
जिला बाड़मेर।

तहसीलदार शिव

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- बृजमोहन कुमावत एडवोकेट वादी की ओर से।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री अमराराम जरिये श्री बृजमोहन कुमावत एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है। कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रासारा तला तह. शिव के खाता सं. 49 खसरा नम्बरान् 615/443, 624/453 रकबा कमशः 55.12, 34.02 बीघा तथा ग्राम भीभड़ा तहसील शिव के ख. नं. 283, 548 रकबा 153.01, 120 बीघा भूमि में वादी का अशुद्ध नाम शेराराम उर्फ अमराराम के स्थान पर अमराराम पुत्र आम्बाराम के नाम अंकन की घोषणा की जाती है। तहसीलदार शिव को आदेश दिये जाते है कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार वादी के नाम दुरस्ती का नामांतरकरण खोलकर बाद जांच तस्दीक करे। बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.08.2019 को जारी की गई।



सहायक कलक्टर (SDO)  
शिव, जिला बाड़मेर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्जर			फीस कमिष्जर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		
	3.00				

